संख्या-1/2017/263/छ:ना0सु0-17-1बजट/16टीसी

प्रेषक,

मनोज मिश्र,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अनु सचिव,
होमगाड्र्स, नागरिक सुरक्षा एवं
राजनैतिक पेंशन विभाग,
लेखा अनुभाग,
उ0प्र0, शासन।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 अप्रैल, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध् में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02-01-2017 व शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20-03-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष आय-व्ययक की अनुदान संख्या-27 के 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106 सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय स्थापना-0301-सामान्य के अन्तर्गत रू0-12.80 लाख अर्थात् रू0-12,80,000/- (रू0 बारह लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि, जिसका शीर्षक एवं मदवार विवरण संलग्न है, को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु वित्त विभाग के उक्त शासनादेश व कार्यालय-ज्ञाप में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्णित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं।

2- उक्त के सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाय कि जब तक अतिरिक्त धनराशि की कोई व्यवस्था न हो, प्रदर्शित की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न की जाय।

3- स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग कर ली जाय, जो सामान्यत: दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज मिश्र)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृष्ठांकन संख्या-1/2017/263(1)/छ:ना0सु0-17-1बजट/16टीसी, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :---

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा -परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (बजट) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन। (3 प्रतियों में)
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेशा संख्या-1/2017/263/छः ना0सु0-17-1बजट/16टीसी

दिनांक 26 अप्रैल, 2017 का संलग्नक

अनुदान संख्या-27-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-01-सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय स्थापना-01-सामान्य	**आवंटित धनराशि (लाख रूपये में)**
01-वेतन	11.00
03-मंहगाई भत्ता	0.55
04-यात्रा व्यय	0.04
06-अन्य भत्ते	0.83
07-मानदेय	0 04
08-कार्यालय व्यय	0.07
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.06
49-चिकित्सा व्यय	0.21
योग----	**12.80**
अतः अनु सचिव, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैति पेंशन विभाग, लेखा अनुभाग के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि रू0-12,80,000/- (रू0 बारह लाख अस्सी हजार मात्र)	

(सुनील यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।